प्रेस विज्ञप्ति

दिनाँक : 19.07.2020

केजीसीसीआई अध्यक्ष, श्री अशोक बन्सल द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से माँग की गयी थी कि राज्य की कुछ औद्योगिक इकाईयों द्वारा अभी बोर्ड में पंजीकरण नहीं कराया गया है, इनमें से कुछ इकाईयाँ ऐसी भी हैं जो राज्य में प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के गठन के पूर्व से ही कार्यरत हैं। ऐसी इकाईयों का बोर्ड में पंजीकरण किया जाए तथा उनसे पूर्व का सहमति शुल्क न लिया जाए। इससे राज्य की समस्त इकाईयाँ बोर्ड से जुड़ जायेंगी जिससे बोर्ड को राज्य में प्रदूषण को नियन्त्रित करने में काफी मदद मिलेगी।

अध्यक्ष, केजीसीसीआई की माँग को स्वीकार करते हुए उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा दिनाँक 10 जून, 2020 को उसकी 24वी बोर्ड मीटिंग में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के जो उद्योग दिनाँक 31 जुलाई, 2020 तक बोर्ड से सहमति लेने हेतु आवेदन कर देंगे उनसे 31 मार्च, 2020 तक का सहमति शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया था कि राज्य में संचालित आश्रम एवं धर्मशालाओं द्वारा सहमति प्राप्त करने हेतु स्थापनार्थ सहमति/संचालनार्थ सहमति शुल्क 31 मार्च, 2023 तक नहीं लिया जाएगा।

उपरोक्त के सम्बन्ध में श्री अशोक बन्सल द्वारा अवगत कराया गया है कि देश में कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु लागू लॉकडाउन के कारण बोर्ड द्वारा पुनः निर्णय लिया गया है कि राज्य में प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के गठन से पूर्व स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों व होटल, चिकित्सालयों के द्वारा सहमति हेतु आवेदन करने की तिथि को 31.07.2020 से बढ़ाकर 31.12.2020 कर दिया गया है।

उपरोक्त के साथ ही अध्यक्ष केजीसीसीआई, श्री अशोक बन्सल द्वारा ऐसे सभी सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्योग जिन्होंने अभी तक बोर्ड में पंजीकरण नहीं कराया है, से अपील की गयी है कि वे बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथि तक सहमति प्राप्त करने हेतु आवेदन कर दें ताकि भविष्य में होने वाली अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

(अशोक बन्सल)
अध्यक्ष